

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 180/2020

सरदार सिंह आयु 64 वर्ष पुत्र श्री भोपाल सिंह, जाति मीणा, निवासी किढवाना, तहसील
सुरजगढ जिला झुंझुनू

—अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, सुरजगढ तहसील सुरजगढ जिला झुंझुनू।

— रेस्पोजेन्ट

प्रथम अपील अधारा 75 राज भू राजस्व अधि. 1956 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय बअदालत
नायब तहसीलदार सुरजगढ तहसील सुरजगढ जिला झुंझुनू(राज)मुकदमा उनवानी राजस्थान
सरकार बनाम सरदार सिंह अ.धा. 91 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 05/2020
आदेश दिनांक 20.01.2020

उपस्थित:-

1. श्री विजयपाल, एडवोकेट- अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी - राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 25.01.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार झुंझुनू के निर्णय दिनांक 30.01.2019 के
विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. व स्थगन के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5
मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से
दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट के अनुसार अदालत मातहत
ने अपीलान्ट को जमीन खसरा नं. 628 में से 0.03. हैक्टर व खसरा नं. 649 में से 0.02 हैक्टर
व्या खसरा नं. 650 में से 0.03 हैक्टर भूमि सरहद मौजा किढवाना तहसील सुरजगढ पर
अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व 30/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश
पारित किया। इस कारण अपीलान्ट की ओर से यह अपील इस प्रकार पेश है कि अदालत
मातहत द्वारा पारित आदेश जैर बहस खिलाफ कानून न्याय व पत्रावली है। अपीलान्ट के
विरुद्ध दफा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं अपीलान्ट
अतिक्रमी नहीं है। पटवारी हल्का की तथाकथित अतिक्रमण रिपोर्ट एकपक्षीय पटवारी
हल्का ने अपीलान्ट के कब्जे का नाप मोके पर अपीलान्ट की मौजूदगी में नहीं किया है।

जिला कलक्टर झुंझुनू

लम्बाई-चोड़ाई दर्ज नहीं की गई है। जमीन जैर बहस पर अपीलान्ट का पूर्व कब्जा है। अपीलान्ट सन् 1970 के पहले से पूर्वजों के समय से पुख्ता मकानात है। जमीन खसरा नं. 649 व 650 किस्म गैरमुमकीन बाड़ा है जो आबादी के क किस्म जमीन गैरमुकीन बाड़ा पर दफा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम कार्यवाही करने का हक अदालत मातहत को नहीं है। जमीन खसरा नं. 628 जो कि वास्तविक रूप से चारागाह के काम में नही आ रही है। अतः अपील अप फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2020 को जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन जोहड़ तथा गैर मुमकीन बाड़ा क राजकीय भूमि है। जिस पर अपीलान्ट ने मकान व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण जिसका अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जो विधिसम्मत है जिसमें कि अनियमितता नहीं है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के उपर पारित किया गया है। अपीलान्ट की अपील में कोई फॉर्स नहीं है। अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर किया। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम किढवाना स्थित भूमि खसरा नम्बर् 649 व 650 में 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 649 गैर मुमकीन बाड़ा में 0.02 हैक्टर पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट का मुख्य कथन उक्त विवादित आराजी पर अपीलान्ट का पूर्वजो के समय से कब्जा है तथा गैर मु की भूमि पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान लागू है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकीन जोहड़ है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि अ वर्तमान जमाबन्दी में उक्त खसरा नम्बर 649 व 650 गैर मुमकीन बाड़ा भी राजकी रूप में दर्ज है, जिसपर किसी निजी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का किया गया क तथा कानून गलत है। अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य सबूत न्यायालय के समक्ष प्र किया है, जिससे उसके कब्जे को वैध माना जा सकें। अपीलान्ट अपना पक्ष रखने रहे है। अपील अपीलान्ट मे कोई फॉर्स नहीं है।

अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थान प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुम कविका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन
जिजा कला
झुंझुनू